



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1187]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2015/ ज्येष्ठ 20, 1937

No. 1187]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2015/ JYAISTHA 20, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2015

का.आ. 1513(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी सं. के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को इसके सदृश्य कॉलम में विनिर्दिष्ट अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करती है।

अब इस अधिसूचना द्वारा घोषित राजमार्ग सारणी के क्रमशः कॉलम (1), (2) और (3) में दर्शाए गए अनुसार नई क्रम सं., नई रारा सं. और राष्ट्रीय राजमार्ग के विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित समझे जाएंगे।

सारणी

क्रम सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
328	339बी	मध्य प्रदेश राज्य में भूमिथा पर रारा-39 के अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खजुराहो पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/12/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ.1031(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2015

S.O. 1513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
328	339B	The highway starting from its junction with NH-39 at Bamitha and terminating at Khajuraho in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. NH-14012/12/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot Note:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031(E), dated 17th April, 2015.